न्यायालय श्रीमान ~~अपर आयुक्त~~ ~~सागर संभाग~~ संभाग

नरेन्द्र सिंह ठाकुर तनय श्री

निबासी ग्राम गुदनवारा, तह0 एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.................आवेदक

वनाम

म0 प्र शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 रा0 संहिता

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान न्यायायल अपर आंयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 3/अ—68/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 21/08/2015 से परिवेदित होकर कर रहा है जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को यह निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का वकपुरा द्वारा एक प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम कछियाखेरा की भूमि खसरा नं 2 रकवा 3.234 है0 भूमि में से रकवा 2.500 है0 भूमि पर अतिकमण किये हुये हैं , हल्का पटवारी द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन के साथ खसरा की नकल एवं स्थल का पंचनामा तथा नक्शा तक प्रस्तुत नहीं किया। खसरा नं 2 काफी बड़ रकवा है, प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं है, कि भूमि के किस हिस्से पर अतिक्रमण है। मात्र इंन्कीचमेंट रजिस्टर पर प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत कर दिया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क0 01/अ—68/2012—13 पंजीवद्व करके अपीलार्थी को सूचनापत्र भेजा गया। उपरोक्त **सूचनापत्र अदम तामील वापिस प्राप्त हुआ, जिसमें टीप लगी आई कि प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिले इस कारण से अदम तामील वापिस।** जो तहसीलदार के प्रकरण में पेज क0 05 पर संलग्न है। तदुपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को ना तो पुनः सूचनापत्र ही जारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3581 –दो/15 **जिला** –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
16.11.15	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गई हैं । 2– यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 3/अ–68/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21.8.15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का वकपुरा द्वारा एक प्रतिवेदन तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में इस आश्य का प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा ग्राम कछियाखेरा की भूमि खसरा न0 2 रकवा 3.234 है0 भूमि में से रकवा 2.500 है0 भूमि पर अतिकमण किये हुये है। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–68/12–13 पंजीबद्ध कर आवेदक को सूचना पत्र जारी किया। प्रकरण में आदेश दिनांक 9.10.12 पारित कर आवेदक पर संहिता की धारा 248/1 के तहत एक लाख रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये कब्जा हटाने का आदेश पारित किया । इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय टीकमगढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा उस पर गंभीरता से विचार न करते हुये उनके द्वारा अपील निरस्त की । आवेदक उससे दुखी होकर अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 21.8.2015 को निरस्त की गई । 3–मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत आदेश की सत्यप्रतिलिपियों का अध्ययन किया । प्रकरण में यह तथ्य देखने में आया है कि आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया है । आवेदक को सूचनापत्र जारी किया गया जिसमें टीप लगी आई कि प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिले इस कारण से अदम तामील वापिस, जो तहसीलदार के प्रकरण में पेज –5 पर संलग्न है। आवेदक को पुनः सूचना पत्र जारी नहीं किया गया, और खसरा न0 2/4 में लाल स्याही से तरमीम	

अंकित है, और हस्ताक्षर नहीं हैं। खसरा न0 2/4 की गलत तरमीम होने से खसरा सं 2 के लिये 3.234 की बजाय 2.730 है0 उपलब्ध है । शेष रकवा खसरा न0 2/1 में शामिल है यही विसंगति है । उपरोक्त अभिलेख शासन का है जिसे विधिवत प्रकिया अपनाकर सुधार करना चाहिये था, तदुपरांत कार्यवाही करना चाहिये थी । नक्शा में जो तरमीम बनी है वह स्वयं राजस्व निरीक्षक ने कहा है कि बिना हस्ताक्षर के बनी है । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट होता है रिकार्ड में ही यह स्पष्ट नहीं है कि कौनसा नबंर कौनसी जगह है तथा कितना रकवा है फिर किस आधार पर आवेदक को दोषी पाकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है, तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आ0 दि0 21.8.15 एवं अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा अपील क0 125/अपील/12–13 पारित आदेश दिनांक 5.8.13 एवं तहसीलदार टीकमगढ़ का प्र0क0 1/अ–68 /12–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9.10.12 निरस्त किये जाते हैं । अतः तहसीलदार टीकमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये वह पहिले शासकीय भूमि विधिवत नक्शा में तरमीम करें, तदुपरांत सीमांकन करने के बाद नये सिरे से अतिक्रमण पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही करें।

सदस्य